बीस रुपये TWENTY RUPEES दस रुपये TEN RUPEES

230

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्र. /2017

III/निगरानी/अनूपपुर/भू.रा/2017/6030

सतीश गौतम पुत्र स्व. श्री बाबूलाल उर्फ रामरंगीले गौतम, निवासी- पैरीचुआ तहसील कोतमा, जिला अनूपपुर (म.प्र.)

--आवेदक

श्री विनोद भार्गव एडवो. द्वारा आज दि. 12-12-17 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 10-1-2018 नियत।

क्लर्क ऑफ कोर्ट 12-12-17
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

विरूद्ध

1. मो. मुख्तार पुत्र मो. जलील, निवासी- पैरीचुआ तहसील कोतमा (म.प्र.)
2. म.प्र. शासन द्वारा पटवारी हल्का व रा.नि. कोतमा, जिला अनूपपुर (म.प्र.)

--अनावेदकगण

न्यायालय तहसीलदार महोदय कोतमा, जिला अनूपपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 48/ए12/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 16/08/2017 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

विनोद भार्गव एडवोकेट ग्वालियर 12-12-2017

माननीय महोदय,

आवेदक का पुनरीक्षण निम्नानुसार प्रस्तुत हैः-

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्यः

13/12/17 शाखा प्रभारी (रा.मं.) कार्यालय महाधिवक्ता, ग्वालियर

1. यहकि, ग्राम पैरीचुआ में स्थित भूमि खसरा क्र. 33 रकबा 1.25 एकड़ आवेदक के भूमि स्वामी स्वत्व एवं आधिपत्य की भूमि है। इस भूमि का आवेदक द्वारा दिनांक 28/05/2013 को सीमांकन कराया गया था। तत्पश्चात् चारो ओर से कटीले तार की फेंसिग कर यूकोलिपटस के वृक्ष लगाये है जो वर्तामन में खड़े हुये है।

2. यहकि, आवेदक की भूमि के बगल से राष्ट्रीय राजमार्ग 78 सड़क निकली है जो सीमांकन नक्शे में अंकित है जो आवेदक द्वारा कराये गये सीमांकन के नकशे में अंकित है। इस सीमांकन आदेश को किसी ने कहीं कोई चुनौती नहीं दी गयी एवं वह अंतिम हो गया।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक दो/निगरानी/अनूपपुर/भू.रा./2017/6030 सतीश विरूद्ध मो. मुख्तार

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री विनोद भार्गव उपस्थित। 3. प्रस्तुत निगरानी तहसीलदार कोतमा के प्रकरण क्रमांक 48/ए-12/2016-17 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 16-8-2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई थी । 4. म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधन वर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरूद्ध आपत्ति सुनवाई के अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये है । 5. अत: प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यायोजित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक 18-03-2019 को अनुविभागीय अधिकारी के यहां उपस्थित हो । अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये । (आर.के. जैन) 10.1.19 सदस्य	